न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 205/2019 | तारीख दायर 26-06-2019 | तारीख फैसला 06/05/2022

उनवान

1. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोडद्व आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

-----:: वादी

बनाम

01. इकबाल
02. आजाद
03. सहजाद पुत्रान रोशन
04. फिरोजी पत्नी रोशनं जाति मेवान निवासीगण ग्राम मुसारी तहसील तिजारा जिला अलवर
05. सन्तोषसिंह
06. कश्मीरसिंह पुत्रान मालासिंह
07. करतारसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह
08. लालसिंह पुत्र मोहरसिंह
09. पूर्ण सिंह पुत्र हरपाल सिंह
10. वीरोबाई
11. गुरोबाई
12. शीलाकौर पुत्रीयान हरपालसिंह
13. हरजीतकौर पत्नी हरपालसिंह
14. प्रकाश कौर पतनी सम्पूर्णसिंह
15. सुरेन्द्र सिंह
16. टीटूसिंह
17. बलकारसिंह पुत्रान सम्पूर्णसिंह
18. सीमाबाई पत्री सम्पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
19. बिन्टू पुत्र जरनैलसिंह नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त सरपंक्षक पिता जरनैलसिंह जाति रायसिख निवासी कोठी वाली ढाणी बहरोज तहसील मुण्डावर जिला अलवर
20. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

19— बिन्टू पुत्र जरनैलसिंह नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त सरपंक्षक पिता
जरनैलसिंह जाति रायसिख निवासी ...

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजी खसरा नम्बर 48 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक ही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 की संयुक्त काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 3/4 भाग व प्रतिवादी 1 लगायत 19 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा है। पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 मुताबिक अपने अपने भाग पर काविज व दाखिल चले आ । रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 अपने अपने के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान ध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 के मध्य बाई मिट्स एण्ड ण्डस आज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 19 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में गई। प्रतिवादी संख्या 20 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया । वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09–12–2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर युक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5042 दिनांक 04–04–2022 के द्वारा प्रकरण कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 48 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार अ.वि.व. जरिये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश गोयल महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम	48	0.18	बारानी 2	0.7125

जाद इकबाल सहजाद पुत्रान फिरोजी पत्नी रोशन मेव 0 मुसारी खातेदार हि0 5/8 करतार सिंह पुत्र गुरूदत्त ह हि0 3/40 कश्मीर सिंह संतोष सिंह पि0 माला सिंह 0 3/40 गुरोबाई वीरोबाई शीलाकौर पुत्रियान पूरणसिंह त्र हरजीत कौर पत्नी हरपाल सिंह हि0 3/40 टीटूसिंह लकार सिंह सुरेन्द्र सिंह पुत्रान प्रकाश कौर पत्नी तीमाबाई पुत्री सम्पूर्ण सिंह हि0 3/40 लाल सिंह मोहर सिंह 3/40 हि0 ना बिन्दू पुत्र जरनेल सिंह संरक्षण सरपरस्त पिता जरनेल हि0 जाति रायसिख गैर खातेदार	48/1	0.06	बारानी 2	0.2375

कसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अगल किया जावें।
जारी हो।
आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)